# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
# नैनीताल

दूरभाष न0 05942–235572 फैक्स न0 05942–233549 ई–मेल–**eepdpwdntl@gmail.com**

पत्रांक :– 1499 /29 एम0जी0 दिनॉक :–26/6/23

सेवा में ,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी, वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल।

**विषय :–** **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.70 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।**

**सन्दर्भः–** **आपका पत्रांक 4985/12–1(बजून–फगुनियाखेत) दिनॉक 31.05.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/165/2020/एफ0सी0/248 दिनॉक 26.05.2023 की बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित हैं।

| क0स0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1. | In reply to point no. 2 and 3 of this office EDS dt. 19-01-2023, the state Govt. not done any necessary correction in online portal. Hense, the state Govt. is requested to do the necessary correction at Para-J of online part-I. | पाइन्ट न0 02 एव 03 में आनलाईन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन कर दिया गया हैं। |
| 2. | State Govt. is requested to mark the location of villages to be benefitted in the KML files. | KML फाईल पर लाभान्वित ग्रामों को प्रद्रर्शित कर दिया गया है। |
| 3. | In reply to point 3of the EDS dt. 19-01-2023, the stateGovt. Stated that the propsed road is extended beyond the location of target village because the another road up to village "Kotli" is already been sanctioned and under process for preparation of proposal of forest diversion. In this regard the state Govt is requested to depict the *Kotli* village to the KMl file and provide the copy of administrative approval for this road along with the status of forest case for the same road up to *Kotli* village. | विषयाकित मार्ग की स्वीकृति दिनॉक 24.12.2006 को प्राप्त है तदोपरान्त मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर वन भूमि प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया, बार–बार आपत्तियों में आने के कारण प्रस्ताव लम्बित रहा इस मार्ग के आगे कोटली तक मार्ग की स्वीकृति मार्च 2023 में प्राप्त हुई हैं शासनादेश की प्रति संलग्न हैं। |
| 4. | The state Govt. is requested to clarify that "Why it is not possible to make a consolidated proposal of both the routes?" | प्रस्तावित मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव काफी पूर्व से गठित है कोटली तक स्वीकृत मोटर मार्ग का अभी सर्वेक्षण कार्य किया जाना है सर्वेक्षण कार्य एव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि चयन कार्य करने में अत्यधिक समय लगेगा जिस कारण पूर्व गठित प्रस्ताव बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग के प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होगा जिस कारण व्यापक जनहित प्रभावित होगा। विषयाकित मार्ग के निर्माण हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि काफी लम्बे समय से मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव की स्वीकृति मे विलम्ब होने से स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों में काफी रोष व्यापत है।<br>अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए ग्राम कोटली को जोड़ते हुए सयुक्त प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जाना न्यायोचित नही है। जिसका प्रस्ताव अलग से प्रेषित किया जायेगा। |

अतः व्यापक जनहित एवं पर्वतीय क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बजून फगुनियाखेत मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान करने हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– शासनादेश की प्रति।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 ,लो0नि0वि0
नैनीताल।

104342/2023

ई फाईल संख्या-47917

प्रेषक,

**विनीत कुमार,**
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता,**
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 13 मार्च,2023

**विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-नैनीताल के अंतर्गत 02 निर्माण कार्यों (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता , लो.नि.वि.,हल्द्वानी द्वारा विषयगत संलग्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों (प्रथम चरण), जिनकी कुल लागत ₹ 103.05 लाख है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹11.25 लाख (₹ ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति कार्य व्यय हेतु **₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र)** अर्थात 02 कार्यों हेतु **₹0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो , की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iii. कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है ] स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

iv. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

v. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है , व्यय उसी मद में किया जाय , एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों , बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय -समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

vii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः -2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

viii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन .पी.वी. भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।

ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय **31.03.2023** तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

xi. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD) 01टीसी-II

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं 0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -337सड़क निर्माण कार्य-03राज्य सैक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-I/103330/2023 , दिनांक 01 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Vineet Kumar
Date: 03-03-2023 15:27:22
(विनीत कुमार)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) , उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. हल्द्वानी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि. , नैनीताल।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि. , नैनीताल।
12. गार्ड फाईल।

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

**शासनादेश संख्या- दिनांक मार्च ,2023 का संलग्नक :-**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी०में) | शासन द्वारा अनुमोदित लागत (₹ ₹लाख में) | चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतगत अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- नैनीताल में बजून-फगुनियाखेत मोटर मार्ग से तोक कोटली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। | 5.00 | 7.50 | 0.10 |
| 2. | राज्य योजना के अंतर्गत | 2.50 | 3.75 | 0.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र- नैनीताल में भवाली-अल्मोड़ा मोटर मार्ग (एन०एच०-87) के कि०मी० 18 से ग्राम सभा मल्ला निगलाट के तोक गैरखान तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। | | | |
| | **योग-** | **7.50** | **11.25** | **0.20** |

**(₹बीस हजार मात्र)**

श्याम सिंह
संयुक्त सचिव

**Signed by Shyam Singh**
**Date: 03-03-2023 17:08:08**